

236
23

2023/727

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2016/

दिनांक:- / /2016

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री चेतन पिता भूपती शंकर नि.
विला चित्तौडगढ प.ह. सेमलपुरा के राजस्व ग्राम मांजपुरा में जमाबन्दी संवत् 2018
- 2019 की खाता संख्या 184 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम चेतन किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम चेतन का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2016/

दिनांक:- / /2016

निमित्त,

पटवार हल्का सेमलपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री चेतन पिता भूपती शंकर

राजस्व ग्राम मांजपुरा प.ह. सेमलपुरा की खाता संख्या 184 में

जाति/नाम चेतन दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व

पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम

सम्मानजनक किये जाने की अनुशंघा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री चेतन पिता भूपती शंकर

जाति/नाम चेतन एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज

करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. सेमलपुरा राजस्व रिकार्ड में

उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ